


23.6.23

प्रथम पक्ष उक्त। द्वितीय पक्ष वकालत
हाजिर। डूपर मेन्स की कौर से धरणा-पुष्पा
दाखिल एवं दस्तावेज की सूचि दाखिल

पश्चात् पश्चात् बाद प्रथम
पक्ष के आवेदन के आलोच
में प्रारम्भ किया गया
तथा अंचल अधिकारी, सरिया
एवं धाना प्रमारी, सरिया
से प्रतिवेदन की मांग की
गई। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्त
होने के पश्चात् उपस्थित
नहीं हुये, बल्कि पोरवन
दास वलद स्वयं बुधन दास
उपस्थित हुये। उक्त पोरवन
रविदास एवं आवेदक (प्रथम
पक्ष) एक ही खतियानी रैयत
के वंशज हैं तथा उनका कहना
है कि नामित विपक्षी
कालो पंडित उनके द्वारा
निर्माण कार्य कराये जा रहे

✓

श्री की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>मकान के मजदूर हैं, अतः नामित विपक्षी का पीपुड़िन के स्थान पर उ-हे पक्ष कार बनाया जाये। अतः इन्टरमेनर के रूप में पोस्टर रास का पक्ष लिखा गया।</p> <p>आवेदक के अनुसार पुश्तागान भूमि उनकी स्वतंत्रिणी जमीन है तथा लगातार रसीद करती आ रही है। डिप्लोम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।</p> <p>पुश्ता पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में सर्व स्वतंत्रिणी की प्वाया प्रति एवं राम लव रसीद जो पन्ना चमार वगैर के नाम पर निर्माण है की प्वाया प्रति दारिज किया गया है।</p> <p>इन्टरमेनर के अनुसार उक्त भूमि पर उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है जो उन्हें प्वाया बरवारा में हासिल है। पुश्ता पक्ष के द्वारा उन्हें उनके दिहले की जमीन पर बाध लाया गया है जो उचित नहीं है।</p> <p>अंचल अधिकारी, स रिया ने प्रतिदिन किया है कि पुश्तागान भूमि पर</p>	

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>पुचम पक्ष का इरकल- कबजा है, परन्तु डिलीय पक्ष के द्वारा मकान बना दिया गया है। दार्शनिक इलाके जो एवं कारण पृच्छा से स्पष्ट है कि पुश्तागत भूमि उभय पक्ष की स्वतंत्र जमीन है तथा एक ही रैयत के वंशज है। उभय पक्ष एवं इन्टरमेनर के मध्य विवाद का कारण आपसी बँटवारा में विवाद सहमति नहीं होने के कारण विवाद हुआ है। जमीन के बँटवारा का निष्पादन इस वाद में नहीं हो सकता है, अतः उभय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि सतम न्यायालय में विवाद निपटारा के लिये जाये। यू कि द. उ. स. की कारा 144(P) के तहत निष्पेक्षा मात्र 60 दिनों तक ही प्रभावी हो सकती है, अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(C)  SDM.</p>	